2013 का विधेयक संख्यांक 31

[दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) अमेंडमेंट बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1972 का 53

2. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में—

(क) खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(2क) "प्राणी फांस" से किसी प्राणी को अवरुद्ध करने या पकड़ने के लिए डिजाइन की गई कोई युक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पाद बंधन फांस युक्ति भी है जो प्राय: ऐसे जम्भ के रूप में कार्य करती है जो प्राणी के एक या अधिक अंगों को कसकर जकड़ लेता है, जिसके द्वारा फांसे से अंग या अंगों को छुड़ाने को रोका जाता है;';

(ख) खंड (14) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(14क) ''ग्राम सभा'' से संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ख) में यथा परिभाषित ग्राम सभा अभिप्रेत है;';

(ग) खंड (15) में, ''वन्य प्राणी'' शब्दों के पश्चात् ''या विनिर्दिष्ट पादप'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(घ) खंड (16) के उपखंड (ख) में, ''जाल में फांसना'' शब्दों के पश्चात् ''विद्युत शक्ति से मारना'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ङ) खंड (22) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(22क) ''पंचायत'' से संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित पंचायत अभिप्रेत है;';

(च) खंड (24) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(24) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत कोई फर्म या कंपनी या कोई प्राधिकारी या संगम या व्यष्टियों का ऐसा निकाय भी है, चाहे वह निगमित हो या नहीं;';

(छ) खंड (26) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(26क) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(26ख) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग ग के पैरा 6 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(26ग) ''वैज्ञानिक अनुसंधान'' से अनुसूची 1 से अनुसूची 7 (अनुसूची 5 के सिवाय) में विनिर्दिष्ट या किसी वन्य स्थल या अपने आवास में पाए गए किसी प्राणी या पादप पर केवल अनुसंधान के प्रयोजन के लिए किया गया कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है;';

(ज) खंड (31) के उपखंड (ख) में, ''घोंसले'' शब्द के पश्चात्, ''सजीव घोंसले'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(झ) खंड (35) में ''अग्न्यायुध'' शब्द के पश्चात् ''श्रृंखला क्रकच अग्न्यायुध, गुलेल'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ञ) खंड (36) में ''और प्रकृति से ही वन्य है'' शब्दों के स्थान पर ''या प्रकृति से ही वन्य है'' शब्द रखे जाएंगे;

(ट) खंड (39) में ''सरकस'' शब्द के स्थान पर ''संरक्षण और प्रजनन केन्द्र'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 5ख का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (3) में ''उसको सौंपे गए कृत्यों'' शब्दों के स्थान पर, ''अधिनियम के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, उसको सौंपे गए कृत्यों'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 9क का अंत:स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्राणी फांसों पर प्रतिषेध।

''9क. (1) कोई भी व्यक्ति, शैक्षणिक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए मुख्य वन्य जीव संरक्षक की लिखित में अनुज्ञा के सिवाय, किसी पशु फांस का विनिर्माण, विक्रय, क्रय नहीं करेगा, उसे नहीं रखेगा, उसका परिवहन या कोई अन्य उपयोग नहीं करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख को कोई प्राणी फांस है, ऐसे प्रारंभ से साठ दिन के भीतर अपने कब्जे में

के प्राणी फांसों की संख्या और उनके वर्णन तथा ऐसे स्थान या स्थानों के, जहां ऐसे फांस भंडारित किए गए हैं, संबंध में मुख्य वन्य जीव संरक्षक को घोषणा करेगा।

(3) मुख्य वन्य जीव संरक्षक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कब्जे में के किसी पशु फांस का उपयोग केवल शैक्षणिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए ही करेगा, तो वह ऐसे व्यक्ति को ऐसे फांस को रखने की लिखित अनुज्ञा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट की जाए, जारी कर सकेगा।

(4) ऐसे सभी पशु फांस, जिनकी उपधारा (2) के अधीन घोषणा की गई है और जिनकी बाबत उपधारा (3) के अधीन मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा लिखित में अनुज्ञा नहीं दी गई है, सरकार की संपत्ति हो जाएंगे।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि पशु फांस को कब्जे में रखने वाला व्यक्ति ऐसे फांस का विधिविरुद्ध रूप से कब्जा रखे हुए है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता हैं:

परन्तु कतिपय ऐसी परिस्थितियों में, जिनका कि अवचरण मुख्य वन जीव संरक्षक द्वारा किया जाएगा, पशु फांस का, पाद जकड़न फांसों के सिवाय, कृषि फसलों तथा कृषकों की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए प्रयोग किए जाने की अनुज्ञा मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा दी जा सकेगी।''।

नई धारा 12क का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाना।

''12क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य वन्य जीव संरक्षक आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदत्त करेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य वन्य जीव संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी सभी अनुज्ञापत्रों पर कार्रवाई कर दी गई है और वे ऐसी शर्तों के अध्यधीन और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदान कर दिए गए हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को विहित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान करने संबंधी क्षेत्र;

(ख) वह व्यक्ति, जो अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा;

(ग) वह समयावधि, जो किसी भी दशा में एक सौ बीस दिन से अधिक की नहीं होगी जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों का निपटारा किया जाएगा;

(घ) वे शर्तें, जिनके अध्यधीन वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी अनुज्ञापत्र प्रदान किए जा सकेंगे।''।

धारा 18 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके, किसी अभयारण्य के रूप में गठित किए जाने के अपने आशय की घोषणा करेगी।''।

धारा 22 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 में, ''राज्य सरकार के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य सरकार और ग्राम सभा तथा पंचायत के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 28 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, ''फोटोचित्रण'' शब्द के पश्चात्, ''और किसी आवास में परिवर्तन किए बिना या आवास या वन्य जीव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वृत्तचित्र बनाना'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 29 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 29 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 33 के खंड (घ) के अधीन अनुज्ञात पशुधन की चराई या संचलन या धारा 11 के अधीन दिए गए अनुज्ञापत्र के अधीन वन्य जीवों का शिकार करने या धारा 12 के अधीन दिए गए अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन किए बिना शिकार करने या धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जारी रखे रहने के लिए अनुज्ञात अधिकारों का प्रयोग करने या स्थानीय समुदायों द्वारा पेय और गृहोपयोगी जल के वास्तविक उपयोग करने को इस धारा के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य नहीं समझा जाएगा।"।

धारा 32 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 32 में, "अन्य पदार्थों का" शब्दों के स्थान पर "अन्य पदार्थों या उपस्करों का" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 33 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

(i) आरंभिक भाग में, "सभी अभयारण्यों का नियंत्रण करेगा, उनका प्रबंध करेगा और उन्हें बनाए रखेगा" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और यदि अभयारण्य भी अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है तो संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके उसके द्वारा तैयार की गई ऐसी प्रबंध योजनाओं के अनुसार सभी अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन और अनुरक्षण करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) के परंतुक में, "पर्यटक लाज" शब्दों के स्थान पर "पर्यटक या सरकारी लाज" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(i) उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके, राष्ट्रीय उपवन के रूप में गठित किए जाने के अपने आशय की घोषणा करेगी।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, वनों के सुसंगत ब्यौरे जहां कहीं उपलब्ध हों, (वन कक्ष संख्यांक सहित) और राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित राजस्व अभिलेख सम्मिलित किए जाएंगे।";

(iii) उपधारा (8) में, "धारा 27 और धारा 28" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 18 क, धारा 27 और धारा 28" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 36घ का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 36घ की उपधारा (2) में,—

(i) "पांच प्रतिनिधि" शब्दों के स्थान पर, "तीन से अन्यून प्रतिनिधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) जहां धारा 36ग की उपधारा (1) के अधीन प्राइवेट भूमि पर कोई सामुदायिक आरक्षिति घोषित की जाती है वहां सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति, भूमि के स्वामी सहित राज्य वनों या वन्य जीव विभाग के, जिसकी अधिकारिता में सामुदायिक आरक्षिति अवस्थित है, एक प्रतिनिधि तथा, यथास्थिति, संबंधित पंचायत या जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि से भी मिलकर बनेगी।"।

धारा 38 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके, राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित करेगी।"।

15. मूल अधिनियम की धारा 38ग के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 38ग का संशोधन।

"(कक) चिड़ियाघरों के संपूर्ण कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना और संबद्ध मुख्य वन्य जीव संरक्षक को चिड़ियाघर के पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकृत करना;"।

16. (1) मूल अधिनियम की धारा 38ञ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 38ञ का संशोधन।

"(2) इस भाव के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किए जाएंगे।"

17. (1) मूल अधिनियम की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ठ) और खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 38ठ का संशोधन।

"(ठ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(ड) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;"।

18. मूल अधिनियम की धारा 38ण की उपधारा (1) के खंड (क) में, "अनुमोदन करना" शब्दों के पश्चात्, "और ऐसी योजना के लिए उसे अनुदान देना" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 38ण का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 38भ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 38भक का अंत:स्थापन।

"38भक. इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध, इस अधिनियम के अधीन व्याघ्र आरक्षिति में सम्मिलित अभयारण्यों और राष्ट्रीय उपवनों (चाहे वे उस रूप में सम्मिलित और घोषित किए गए हों या इस प्रकार घोषित किए जाने की प्रक्रिया में हों) से संबंधित उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।"। इस अध्याय के उपबंधों का अभयारण्यों और राष्ट्रीय उपवनों से संबद्ध उपबंधों के अतिरिक्त होना।

20. मूल अधिनियम के अध्याय 4ग के शीर्षक में "व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति" शब्दों के स्थान पर "वन्य जीव" शब्द रखे जाएंगे। अध्याय 4ग का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 38म के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 38म के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"38म. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, एक वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन कर सकेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:— वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन।

(क) निदेशक, वन्य जीव संरक्षण	— निदेशक-पदेन;
(ख) पुलिस महानिरीक्षक	— अपर निदेशक;
(ग) उप पुलिस महानिरीक्षक	— संयुक्त निदेशक;
(घ) उप वन महानिरीक्षक	— संयुक्त निदेशक;
(ङ) अपर आयुक्त (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	— संयुक्त निदेशक; और
(च) ऐसे अन्य अधिकारी, जो इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 में निर्दिष्ट अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएं।"।	

22. मूल अधिनियम की धारा 39 में,— धारा 39 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के खंड (क) में, "बंदी-स्थिति में रखा जाता है या पैदा होता है या उसका शिकार किया जाता है" शब्दों के पश्चात् "या विनिर्दिष्ट पादप चुने जाते हैं, उखाड़े जाते हैं, रखे

जाते हैं या नुकसान पहुंचाया जाता है या नष्ट किया जाता है, धारा 17क के अधीन उनके साथ व्यापार किया जाता है या विक्रय किया जाता है'' शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) जहां कोई ऐसी सरकारी संपत्ति जीवित प्राणी है और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा नहीं जा सकता वहां राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसे किसी मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या बचाव केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उसकी देखभाल की जाए।''।

नए अध्याय 5ख का अंत:स्थापन।

23. मूल अधिनियम के अध्याय 5क के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 5ख

वन्य प्राणिसमूह और वनस्पतिसमूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय के अनुसार वन्य प्राणिसमूह और वनस्पतिसमूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएं।

49घ. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''कृत्रिम रूप से प्रजनित'' से ऐसे पादप अभिप्रेत हैं, जो समान दशाओं के अधीन पादप सामग्री से नियंत्रित दशाओं के अधीन उगाए गए हैं;

(ख) ''बंदी हालत में प्रजनित'' से जनक से जो बंदी हालत में हों, पैदा हुआ अभिप्रेत है;

(ग) ''अभिसमय'' से 3 मार्च, 1973 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन, डी. सी. में हस्ताक्षरित और 22 जून, 1979 को बॉन में संशोधित वन्य प्राणिसमूह और वनस्पतिसमूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय, उसके परिशिष्ट और भारत पर आबद्धकर सीमा तक उसके अधीन किए गए विनिश्चय, संकल्प और अधिसूचनाएं तथा उसके संशोधन अभिप्रेत हैं;

(घ) ''विदेशी प्रजाति'' से प्राणियों और पादपों की ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं, जो भारत के वन्य स्थानों में नहीं पाई जाती हैं और जो अभिसमय के परिशिष्टों में सूचीबद्ध नहीं हैं किंतु उन्हें प्रबंध प्राधिकारी द्वारा धारा 49ङ के खंड (ख) में उल्लिखित कारणों से धारा 49च की उपधारा (3) के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ङ) ''निर्यात'' से प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, नमूनों, विदेशी प्रजातियों का या उनमें से किसी का भारत से किसी अन्य देश को निर्यात अभिप्रेत है;

(च) ''आयात'' से प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, नमूनों, विदेशी प्रजातियों का या उनमें से किसी का किसी अन्य देश से भारत में आयात अभिप्रेत है;

(छ) ''प्रबंध प्राधिकारी'' से धारा 49च के अधीन अभिहित प्रबंध प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) ''पादप'' से अनूसूची 7 में सूचीबद्ध पादपों का कोई जीवित या मृत, अवयव अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसके बीज, जड़ें और अन्य भाग भी हैं;

(झ) ''तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी'' के अंतर्गत ऐसा कोई नमूना अभिप्रेत है, जो साथ लगे दस्तावेज, पैकिंग अथवा चिह्न या लेबल से या किन्हीं अन्य परिस्थितियों से अनुसूची 7 में सूचीबद्ध किन्हीं प्रजातियों के किसी प्राणी या पादप का भाग या व्युत्पन्नी होना प्रतीत होता है;

(ञ) ''पुन: निर्यात'' से ऐसे किसी नमूने का निर्यात अभिप्रेत है, जो पूर्व में आयात किया गया है;

(ट) ''वैज्ञानिक प्राधिकारी'' से धारा 49छ के अधीन अभिहित कोई वैज्ञानिक प्राधिकारी अभिप्रत है;

(ठ) ''अनुसूचित नमूने'' से अभिसमय के परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध और अनुसूची 7 में उस रूप में सम्मिलित प्रजातियों का कोई नमूना अभिप्रेत है;

(ड) ''नमूने'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:—

(i) कोई प्राणी या पादप, चाहे वह जीवित हो या मृत;

(ii) किसी प्राणी की दशा में,—

(अ) परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में सम्मिलित प्रजातियों के लिए, उसका कोई तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी;

(आ) परिशिष्ट 3 में सम्मिलित प्रजातियों के लिए, प्रजातियों के संबंध में अनुसूची 7 के परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट उसका कोई तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी; और

(iii) किसी पादप की दशा में:—

(अ) परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के लिए उसका कोई तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी;

(आ) परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में सम्मिलित प्रजातियों के लिए, प्रजातियों के संबंध में अनुसूची 7 के परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट उसका कोई तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी;

(ढ) ''व्यापार'' से निर्यात, पुनः निर्यात, आयात और समुद्र से प्रवेश अभिप्रेत है।

49ङ. इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे, अर्थात्:— इस अध्याय के उपबंधों का अनुसूची 7 में सूचीबद्ध प्राणी और पादप प्रजातियों तथा विदेशी प्रजातियों को लागू होना।

(क) अनुसूची 7 में सम्मिलित प्राणी और पादप प्रजातियों के नमूने;

(ख) अनुसूची 7 के अंतर्गत न आने वाले प्राणी और पादप नमूनों की विदेशी प्रजातियां, जिनका निम्नलिखित के लिए विनियमन किया जाना अपेक्षित है:—

(i) भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों के देशी जीन पूल के संरक्षण के लिए; या

(ii) ऐसी प्रजातियां जो प्रकृतिस्वरूप आक्रामक हो सकती हैं और भारत के वन्य जीवों या पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए खतरा साबित हो सकती हैं; या

(iii) ऐसी प्रजातियां, जो वैज्ञानिक प्राधिकरण की राय में, उनके उन वास स्थानों में, जिनमें वे प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं, क्रांतिक रूप से संकटापन्न हैं।

49च. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी अधिकारी को, जो अपर वन महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने और शक्तियों के प्रयोग करने के लिए, प्रबंध प्राधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी। प्रबंध प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों को अभिहित किया जाना।

1962 का 52

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रबंध प्राधिकारी किसी अनुसूचित नमूने के आयात, निर्यात और पुनःनिर्यात को विनियमित करने संबंधी अनुज्ञापत्र और प्रमाणपत्र जारी करने, रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इस अध्याय के अधीन यथा अपेक्षित अन्य कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रबंध प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा और वैज्ञानिक प्राधिकारी की सलाह पर प्राणियों और पादपों की ऐसी विदेशी प्रजातियों को अधिसूचित करेगा, जो अभिसमय के अंतर्गत नहीं आती हैं।

(4) प्रबंध प्राधिकारी, वार्षिक और द्विवार्षिक रिपोर्टें तैयार करेगा और उन्हें केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(5) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रबंध प्राधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करने के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी जितने आवश्यक हों, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे वेतन और भत्ते भी हैं जो विहित किए जाएं, नियुक्त कर सकेगी।

(6) प्रबंध प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से [उपधारा (3) के अधीन विदेशी प्रजातियों को अधिसूचित करने की शक्ति के सिवाय] अपने कृत्य या शक्तियां ऐसे अधिकारियों को जो सहायक वन महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिन्हें वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

प्रबंध प्राधिकारी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले साधारण सिद्धांत।

49छ. प्रबंध प्राधिकारी इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन या अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा, अर्थात्:—

(i) अनुसूची 7 के अधीन किसी नमूने का निर्यात या पुन: निर्यात या आयात इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार है;

(ii) निर्यात या आयात के लिए नमूने प्राणिसमूह या वनस्पतिसमूह के संरक्षण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं विधियों के उल्लंघन में अभिप्राप्त नहीं किए जाते हैं;

(iii) किसी जीवित नमूने के निर्यात या पुन:निर्यात को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है और पोत पर चढ़ाया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य को क्षति, नुकसान पहुंचने को या क्रूर व्यवहार के जोखिम को कम किया जा सके;

(iv) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किसी नमूने के आयात का उपयोग मुख्यत: वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है;

(v) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों के जीवित नमूने के पुन: निर्यात के लिए पूर्व मंजूरी तथा अभिसमय के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए पुन: निर्यात प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा;

(vi) किसी जीवित नमूने के प्रस्तावित प्राप्तिकर्ता को इसे सुरक्षित स्थान पर रखने और उसका ध्यान रखने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित है;

(vii) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किसी प्रजाति के किसी नमूने के आयात के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्यात अनुज्ञापत्र या पुन: निर्यात प्रमाणपत्र की अपेक्षा के अलावा इस अधिनियम के अधीन या तो निर्यात अनुज्ञापत्र या पुन: निर्यात प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा;

(viii) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किसी प्रजाति के किसी नमूने के समुद्र मार्ग से प्रवेश के लिए देश के प्रबंध प्राधिकारी से अभिसमय के उपबंध के अधीन जारी प्रमाणपत्र का दिया जाना अपेक्षित होगा;

(ix) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 3 में सम्मिलित किसी प्रजाति के किसी नमूने के किसी ऐसे देश से, जिसने उस प्रजाति को परिशिष्ट 3 में सम्मिलित किया हुआ है, निर्यात के लिए निर्यात अनुज्ञापत्र के दिए जाने और प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा होगी, जो शर्त (ii) और शर्त (iii) को पूरा करने के बाद ही दिया जाएगा;

(x) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 3 में सम्मिलित किसी प्रजाति के किसी नमूने के आयात के लिए, निम्नलिखित अपेक्षित होगा:—

(क) मूल स्थान के प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना; और

(ख) जहां आयात ऐसे किसी देश से है, जिसने उस प्रजाति को परिशिष्ट 3 में सम्मिलित किया हुआ है, निर्यात अनुज्ञापत्र; या

(ग) पुन: निर्यात की दशा में, पुन: निर्यात के देश के प्रबंध प्राधिकरण द्वारा दिया गया यह प्रमाणपत्र कि नमूना उस देश में तैयार किया गया था या उसका पुन: निर्यात किया जा रहा है, आयात के देश द्वारा इस बात के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि अभिसमय के उपबंधों का संबंधित नमूने के संबंध में अनुपालन किया गया है।

स्पष्टीकरण—खंड (viii) में ''समुद्र से प्रवेश'' पद से किसी भी प्रजाति के ऐसे नमूनों का भारत में परिवहन अभिप्रेत है, जो भारत की अधिकारिता के अधीन न आने वाले समुद्री पर्यावरण से लिए गए हों।

वैज्ञानिक प्राधिकारियों का अभिहित किया जाना।

49ज. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी एक या अधिक संस्थानों को, जो उसके द्वारा स्थापित किए गए हैं और वन्य जीव के अनुसंधान में लगे हुए हैं, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक प्राधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी।

(2) अभिहित वैज्ञानिक प्राधिकारी, प्रबंध प्राधिकारी को ऐसे विषयों में सलाह देगा, जो प्रबंध प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) जब कभी वैज्ञानिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किहीं ऐसी प्रजाति के नमूनों का निर्यात सीमित किया जाए जिससे कि उस प्रजाति को ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली में, जिसमें वह पैदा होती है उसकी भूमिका से सुसंगत स्तर तक उसकी पूरी रेंज में और उस स्तर से ठीक ऊपर, जिसमें वह प्रजाति अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र हो बनाए रखा जा सके तो वह उस प्रजाति के नमूनों के लिए निर्यात अनुज्ञापत्र दिए जाने को सीमित करने के लिए प्रबंध प्राधिकारी को ऐसे उचित उपाय करने की सलाह देगा जिन्हें वैज्ञानिक प्राधिकरण उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(4) वैज्ञानिक प्राधिकारी, प्रबंध प्राधिकारी को सलाह देते समय, निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा, अर्थात्:—

(क) धारा 49छ में निर्दिष्ट ऐसा निर्यात या आयात उस प्रजाति के बचे रहने के लिए हानिकारक नहीं होगा; और

(ख) जीवित नमूने का प्रस्तावित प्राप्तिकर्ता इसे रखने और इसका ध्यान रखने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित है।

(5) वैज्ञानिक प्राधिकारी अनुसूची 7 के परिशिष्ट 2 में सम्मिलित प्रजातियों के नमूनों के लिए प्रबंध प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्रों को मानीटर करेगा।

(6) वैज्ञानिक प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विदेशी प्रजाति के ऐसे प्राणियों और पादपों की पहचान करे जो अनुसूची 7 के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनकी सूचना प्रबंध प्राधिकारी को दे और निम्नलिखित के लिए उनके विनियमन की अपेक्षा करे—

(i) भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों के देशी जीन पूल का संरक्षण करना; या

(ii) भारत के वन्य जीव या पारिस्थितिकी प्रणाली के खतरे को दूर करना क्योंकि ऐसी प्रजातियां स्वभाव से आक्रामक होती हैं;या

(iii) ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करना क्योंकि वैज्ञानिक प्राधिकारी की राय में वे उनके उस प्राकृतिक आवास में, जिसमें वे प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होती है, क्रांतिक रूप से संकटापन्न होती हैं।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

49झ. प्रबंध प्राधिकारी और वैज्ञानिक प्राधिकारी इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों के पालन और शक्तियों के प्रयोग करते समय ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, लिखित रूप में दिए जाएं।

समन्वय समिति का गठन।

49ञ. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रबंध प्राधिकारी और वैज्ञानिक प्राधिकारी, राज्य मुख्य वन्य जीव वार्डनों और वन्य जीव के व्यापार से संबंधित अन्य प्रवर्तन प्राधिकारियों या अभिकरणों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक समन्वय समिति का गठन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समन्वय समिति, ऐसे समय और स्थान पर अपनी बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, कार्य संचालन संबंधी ऐसी प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी, जो विहित किए जाएं।

अनुसूचित नमूनों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उसकी बाबत निर्बंधन।

49ट. (1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित अनुसूचीबद्ध नमूनों का कोई व्यापार नहीं करेगा:

परन्तु अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित अनुसूचित नमूनों को जिन्हें बंदी स्थिति में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रजनित किया गया है (उनके सिवाय जिन्हें वन में नहीं छोड़ा जा सकता है) या उक्त परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किसी पादप प्रजाति के अनुसूचित नमूनों को, जिन्हें कृत्रिम रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रजनित किया गया है, अनुसूची 7 के परिशिष्ट 2 में सम्मिलित अनुसूचित नमूना समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अनुसार ही किन्हीं अनुसूचित नमूनों का कोई व्यापार करेगा, अन्यथा नहीं।

(3) किन्हीं अनुसूचित नमूनों का व्यापार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुसूचित नमूनों और संव्यवहार के ब्यौरों की रिपोर्ट देगा।

(4) अनुसूचित नमूनों का व्यापार करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को या किसी सीमाशुल्क अधिकारी को उसके लिए विनिर्दिष्ट निकासी और प्रवेश पत्तनों पर ही अनापत्ति के लिए उसे प्रस्तुत करेगा।

विदेशी प्रजातियों या अनुसूचित नमूनों का कब्जा, प्रजनन और घरेलू व्यापार।

49ठ. (1) किसी विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने का कब्जा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे नमूने या नमूनों के ब्यौरों की रिपोर्ट प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में देगा जो विहित की जाए।

(2) प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या समाधान हो जाने पर कि कोई विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूना वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व ऐसे व्यक्ति के कब्जे में था, जो उसका स्वामी हो, या अभिसमय के अनुरूप अभिप्राप्त किया गया था, ऐसे अनुसूचित नमूने या विदेशी प्रजाति के ब्यौरों को रजिस्टर करेगा और स्वामी को ऐसे नमूने को प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात करते हुए विहित रीति में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित नमूने या विदेशी प्रजातियों का कब्जा, किन्हीं भी साधनों द्वारा चाहे वे जो भी हों, अंतरित करता है, ऐसे अंतरण के ब्यौरों की रिपोर्ट प्रबंध प्राधिकारी

5ख. (1) * * * * * राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड उसको सौंपे गए कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए समय-समय पर समितियां, उप-समितियां या अध्ययन समूह, जो भी आवश्यक हों, गठित कर सकेगा।

* * * * *

22. कलक्टर दावेदार पर विहित सूचना की तामील करने के पश्चात्— कलक्टर द्वारा जांच।

(क) धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन उसके समक्ष किए गए दावे के बारे में, और

(ख) उस अधिकार के अस्तित्व के बारे में, जो धारा 19 में वर्णित है और धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन दावाकृत नहीं है,

शीघ्रता के साथ वहां तक जांच करेगा, जहां तक कि वह राज्य सरकार के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य से अभिनिश्चित किया जा सकता है।

* * * * *

28. (1) मुख्य वन्य जीव संरक्षक आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र दे सकेगा, अर्थात्:— अनुज्ञापत्र का दिया जाना।

* * * * *

(ख) फोटोचित्रण;

* * * * *

29. कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा दी गई किसी अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, किसी कार्य द्वारा वह चाहे जो भी हो, किसी अभयारण्य में वनोत्पाद सहित किसी वन्य जीवन को नष्ट नहीं करेगा, उसका विदोहन नहीं करेगा या उसको नहीं हटाएगा अथवा अभयारण्य में या उसके बाहर जल के प्रवाह का अपवर्तन नहीं करेगा, उसे रोकेगा नहीं अथवा उसमें वृद्धि नहीं करेगा और कोई ऐसी अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि राज्य सरकार, बोर्ड के परामर्श से, यह समाधान हो जाने पर कि अभयारण्य से किसी वन्य जीव को इस प्रकार हटाया जाना या अभयारण्य में या उसके बाहर जल के प्रवाह में ऐसा परिवर्तन वहां के वन्य जीवन के सुधार और अधिक अच्छे परिवर्तन के लिए आवश्यक है, ऐसे अनुज्ञापत्र का जारी किया जाना प्राधिकृत नहीं करती है: अनुज्ञापत्र के बिना अभयारण्य में नाशकरण आदि पर प्रतिषेध।

परन्तु जहां किसी अभयारण्य से वनोत्पाद को हटाया जाता है, वहां उसका उपयोग, अभयारण्य में अथवा उसके आस-पास रहने वाले लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा और किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 33 के खंड (घ) के अधीन अनुज्ञात पशुधन की चराई या संचलन इस धारा के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य नहीं समझा जाएगा।

* * * * *

32. कोई भी व्यक्ति किसी अभयारण्य में रसायनों, विस्फोटकों या किन्हीं अन्य पदार्थों का, जो ऐसे अभयारण्य के किसी वन्य जीव को क्षति पहुंचा सके या खतरे में डाल सके, प्रयोग नहीं करेगा। क्षतिकर पदार्थ के प्रयोग पर रोक।

33. मुख्य वन्य जीव संरक्षक ऐसा प्राधिकारी होगा जो सभी अभयारण्यों का नियंत्रण करेगा, उनका प्रबन्ध करेगा और उन्हें बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए वह किसी अभयारण्य की सीमाओं के भीतर,— अभयारण्यों का नियंत्रण।

(क) ऐसी सड़कें, पुल, भवन, बाड़ या रोक फाटक सन्निर्मित कर सकेगा, तथा ऐसे अन्य संकर्मों को जो वह ऐसे अभयारण्य के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे विनिर्मित कर सकेगा:

परन्तु किसी अभयारण्य के भीतर वाणिज्यिक पर्यटक लॉज, होटलों, चिड़ियाघरों और सफाई उपवनों का सन्निर्माण राष्ट्रीय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं किया जाएगा।

* * * * *

राष्ट्रीय उपवन

35. (1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई क्षेत्र जो किसी अभयारण्य के भीतर है या नहीं, अपने पारिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणी विज्ञान-जात राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा।

महत्व के कारण उसमें वन्य जीवों के और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय उपवन के रूप में गठित किया जाना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन के रूप में गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी:

"परन्तु जहां राज्यक्षेत्रीय सागरखंड के किसी भाग को ऐसे राष्ट्रीय उपवन में सम्मिलित करना प्रस्थापित है वहां धारा 26क के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय उपवन की घोषणा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अभयारण्य की घोषणा के संबंध में लागू होते हैं।";

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उस क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जाएंगी जिसे राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित करने का आशय है।

* * * * *

(8) धारा 27 और धारा 28, धारा 30 से धारा 32 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) और धारा 33 के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) तथा धारा 34 के उपबन्ध किसी राष्ट्रीय उपवन के सम्बन्ध में यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अभयारण्य के संबंध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे क्षेत्र की दशा में, चाहे वह अभयारण्य में हो या न हो, जहां अधिकारों को निर्वापित कर दिया गया है और भूमि किसी विधि के अधीन या अन्यथा राज्य सरकार में निहित हो गई है, वहां उसके द्वारा ऐसे क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय उपवन अधिसूचित किया जा सकेगा और धारा 9 से धारा 26 तक (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए) के अधीन कार्यवाहियां तथा इस धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

* * * * *

36घ. (1) * * * * *

(2) समिति, ग्राम पंचायत द्वारा अथवा जहां ऐसी पंचायत नहीं है वहां ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों और राज्य वन विभाग अथवा उस वन्य जीव विभाग के, जिसकी अधिकारिता के अधीन सामुदायिक आरक्षिति अवस्थित है, एक प्रतिनिधि से मिलकर बनेगी।

* * * * *

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

38ठ. (1) * * * * *

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, अर्थात्:—

* * * * *

(ठ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;

(ड) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;

* * * * *

व्याघ्र संरक्षण प्रधिकरण की शक्तियां और निर्वहन।

38ण. (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम की धारा 38फ की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना का अनुमोदन करना;

* * * * *

अध्याय 4ग

व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो

व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन।

38म. केन्द्रीय सरकार, इस अधनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के नाम से ज्ञात एक व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) वन्य जीव संरक्षण निदेशक — पदेन निदेशक;

(ख) पुलिस महानिरीक्षक — अपर निदेशक;

(ग) पुलिस उप महानिरीक्षक — संयुक्त निदेशक;

(घ) वन उप महानिदेशक — संयुक्त निदेशक;

(ङ) अपर आयुक्त (सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क) — संयुक्त निदेशक; और

(च) ऐसे अन्य अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन आने वाले अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएं;

* * * * *

अध्याय 5

वन्य प्राणियों, प्राणी-वस्तुओं तथा ट्राफियों का व्यापार या वाणिज्य

वन्य प्राणियों आदि का सरकार की सम्पत्ति होना।

39. (1) (क) पीड़क जन्तु से भिन्न प्रत्येक वन्य प्राणी, जिसका धारा 11 या धारा 29 की उपधारा (1) या धारा 35 की उपधारा (6) के अधीन आखेट किया जाता है या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में बंदी-स्थिति में रखा जाता है या पैदा होता है या उसका शिकार किया जाता है अथवा जिसे मृत पाया जाता है या जिसका भूल से वध कर दिया जाता है, और

* * * * *

अध्याय 6

अपराधों का निवारण और पता लगाना

प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति।

50. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी या किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी के, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है, तो वह—

(क) ऐसे व्यक्ति से उसके नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में किसी बन्दी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, [ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी] अथवा इस अधिनियम के अधीन दी गई या उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी यान या जलयान की तलाशी लेने या जांच करने के लिए उसे रोक सकेगा या ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में किसी परिसर, भूमि, यान या जलयान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा उसके कब्जे में सामान या अन्य वस्तुओं को खोल सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) किसी व्यक्ति के कब्जे में किसी बंदी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी को जिनकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी ऐसे अपराध को किए जाने के लिए प्रयुक्त किसी फांसे, औजार, यानि जलयान या आयुद्ध सहित अभिगृहित कर सकेगा, और जब तक कि उसका यहां समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति हाजिर होगा और किसी ऐसे आरोप का उत्तर देगा, जो उसके विरुद्ध लगाया जाए, वह उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा:

परन्तु जहां कोई मछुआरा, जो किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन के दस किलोमीटर के भीतर निवास करता है, किसी ऐसी नौका से, जिसका उपयोग वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग के लिए नहीं

किया जाता है, उस अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन के राज्य क्षेत्रीय झारखंड में अनवधानता से प्रवेश करता है, वहां ऐसी नौका पर मछली पकड़ने के टैंकल या जाल को अभिगृहीत नहीं किया जाएगा।";

* * * * *

शास्तियां।

51. (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के [अध्याय 5क और धारा 38ञ को छोड़कर] या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या जो इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की शर्तों में से किसी को भंग करेगा, वह इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि पच्चीस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परंतु यदि किया गया अपराध अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या किसी ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के संबंध में है या यदि अपराध किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट से संबंधित है या किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है तो ऐसा अपराध ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम की न होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा।

(1क) कोई व्यक्ति, जो अध्याय 5क के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

"(1ख) कोई व्यक्ति जो धारा 38ञ, के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा:

परन्तु किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।"

(1ग) कोई व्यक्ति जो व्याघ्र आरक्षिति के आन्तरिक क्षेत्र के संबंध में अपराध करेगा या जहां अपराध किसी व्याघ्र आरक्षिति में आखेट या व्याघ्र आरक्षिति की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है वहां ऐसा अपराध प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा; और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(1घ) जो कोई उपधारा (ग) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरित कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा।

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय आदेश दे सकेगा कि कोई बन्दी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी, [असंसाधित ट्राफी, मांस, भारत में आयातित हाथी दांत या ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु, कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी] जिसके बारे में अपराध किया गया है और उक्त अपराध के करने में प्रयुक्त कोई फांसा, औजार, यान, जलयान या आयुध राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा और यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारित कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का ऐसा रद्दकरण या ऐसा समपहरण किसी ऐसे अन्य दण्ड के अतिरिक्त होगा जो ऐसे अपराध के लिए दिया जाए।

(4) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां न्यायालय निदेश दे सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, जो आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे आयुध का कब्जा रखने के लिए दी गई है जिससे इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, रद्द कर दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष के लिए, अनुज्ञप्ति का पात्र नहीं होगा।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने से संबंधित किसी अपराध या अध्याय 5क के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो।''

जमानत मंजूर करते समय कतिपय शर्तों का लागू होना।

51क. जहां कोई व्यक्ति, जो अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 से संबंधित अपराध या राष्ट्रीय उपवन या वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं के अंदर आखेट से संबंधित कोई अपराध या ऐसे उपवनों और अभयारण्य की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी कोई अपराध करने का अभियुक्त है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, वहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनयम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से ही सिद्धदोष ठहराया गया था, तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक—

(क) लोक अभियोजक को निर्मुक्ति का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर छोड़े जाने पर उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

* * * * *

अपराधों का संज्ञान।

55. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा—

(क) वन्य जीव संरक्षण निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(कक) अध्याय 4क के उपबंधों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों में सदस्य-सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण; या

(कख) सदस्य-सचिव, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण; या

(कग) संबंधित व्याघ्र आरक्षिति का निदेशक; या

(ख) मुख्य वन्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(खख) धारा 38ञ के उपबंधों के अतिक्रमण के संबंध में चिड़ियाघर का भारसाधक अधिकारी; या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसमें विहित रीति से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पूर्वोक्त रूप से प्राधिकृत अधिकारी को अभिकथित अपराध की, और परिवाद करने के अपने आशय की अन्यून साठ दिन की सूचना दी है।

* * * * *

अनुसूचियों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति।

61. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा किसी अनुसूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकेगी या किसी अनुसूची के एक भाग से किसी प्रविष्टि को उसी अनुसूची के किसी अन्य भाग में या एक अनुसूची से किसी अन्य अनुसूची में अन्तरित कर सकेगी।

* * * * *

अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण।

65. इस अधिनियम की कोई बात अंडमान और निकोबार गजट, तारीख 28 अप्रैल, 1967 के असाधारण अंक के पृष्ठ 1 से 5 में प्रकाशित अंडमान और निकोबार प्रशासन की अधिसूचना सं॰ 40/67/एफ॰, नं॰ जी॰ 635, खण्ड III, तारीख 28 अप्रैल, 1967 द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र में निकोबार द्वीपों की अनुसूचित जनजातियों को आखेट संबंधी प्रदत्त अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

* * * * *

GMGIPMRND—263RS—18-04-2013.